



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042021-226399  
CG-DL-E-07042021-226399

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1346]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 2021/चैत्र 17, 1943

No. 1346]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 2021/CHAITRA 17, 1943

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

**का.आ.1457(अ).**—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 4 के खण्ड (छ) के अनुसरण में डॉ. अनिल जैन, सदस्य, राज्य सभा को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का सदस्य होने के लिए राज्य सभा द्वारा 9 फरवरी, 2021 को विधिवत् रूप से उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन निर्वाचित किया गया है।

[फा.सं. वी. 16011/01/2020-आईएनआई-1]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

**पाद टिप्पण:** प्रधान अधिसूचना को दिनांक 16.07.2015 के का. आ. 1924(अ) के तहत भारत के राजपत्र (अ) में प्रकाशित किया गया और निम्नानुसार आगे संशोधित किया गया:

- (i) का. आ. 454 (अ) दिनांक 12.02.2016
- (ii) का. आ. 1052 (अ) दिनांक 11.03.2016
- (iii) का. आ. 2722 (अ) दिनांक 17.08.2016
- (iv) का. आ. 1848 (अ) दिनांक 08.06.2017

- (v) का. आ. 3730 (अ) दिनांक 24.11.2017
- (vi) का. आ. 2342 (अ) दिनांक 7.06.2018
- (vii) का. आ. 1711 (अ) दिनांक 9.05.2019
- (viii) का. आ. 2353 (अ) दिनांक 04.07.2019
- (ix) का. आ. 3132 (अ) दिनांक 29.08.2019

**MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2021

**S.O. 1457(E).**—In pursuance of clause (g) of Section 4, read with Sub-Section (1) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), Dr. Anil Jain, Member, Rajya Sabha has been duly elected on 9th February, 2021 by the Rajya Sabha to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi subject to the provisions of the said Act.

[F. No. V-16011/01/2020-INI-I]  
NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor

**Foot Note:** The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide S.O. 1924(E) dated 16.07.2015 and amended further by:

- (i) S.O. 454(E) dated 12.02.2016
- (ii) S.O. 1052(E) dated 11.03.2016.
- (iii) S.O. 2722(E) dated 17.08.2016.
- (iv) S.O. 1848(E) dated 08.06.2017.
- (v) S.O. 3730(E) dated 24.11.2017.
- (vi) S.O. 2342(E) dated 7.06.2018.
- (vii) S.O. 1711(E) dated 9.05.2019.
- (viii) S.O. 2352 (E) dated 04.07.2019
- (ix) S.O. 3132 (E) dated 29.08.2019